न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या :– 2017/2012
जीसीएमएस नंबरः– 2022/409
वादीगण–

1. घनश्याम सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जी, आयु 43 वर्ष निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।
2. श्रीमती रजनी धर्मपत्नी श्री महेन्द्रसिंह जी कच्छावाह, पुत्री श्री जगदीश सिंह जी जाति माली निवासी मारवाड़ नगर महामंदिर जोधपुर।
3. श्रीमती मीना धर्म पत्नी श्री भगतसिंह परिहार पुत्री श्री जगदीश सिंह जाति माली निवासी लाल मैदान चौथी सी रोड़ जाटावास महामंदिर जोधपुर।
4. श्रीमती ललिता धर्मपत्नी श्री श्यामसिंह जी भीटी पुत्री श्री जगदीश सिंह जी, जाति माली निवासी– कमला नगर (कुंज) चैनपुरा बावड़ी, मण्डोर जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. श्री जगदीश सिंह पुत्र स्व. श्री भंवरलाल, जाति माली,
2. श्री दौलतसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी जाति– माली,
3. श्री निर्मलसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति माली
   निवासीगण– गहलोतों का बास, मंगरा पूंजला मण्डोर जोधपुर।
4. श्री धनसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली,
5. मड़ी उर्फ मथुरा पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जाति माली, निवासीगण–82 रामनगर, भदवासिया स्कूल के पीछे, जोधपुर।
6. श्रीमती लक्ष्मी धर्मपत्नी श्री रावतसिंह पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जी जाति माली सांखला, निवासी रूपावतों का बेरा, काली बेरी, जोधपुर।
7. श्रीमती नैनी धर्मपत्नी श्री गोपीकिशन जाति सांखला माली, पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जी निवासी सांखलों का बास, मगर पूंजला जोधपुर।
8. श्रीमती मंजू धर्मपत्नी श्री आनंदसिंह जाति माली पंवार पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जी निवासी महामंदिर रेल्वे स्टेशन के सामने शहर जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य, जरिए तहसीलदार जोधपुर।
10. उप–पंजीयक द्वितीय, कचहरी परिसर जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>
<u>सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

<u>–::निर्णयः:–</u> दिनांकः– 10/09/2025

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 की ओर से अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी।
2. प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से अधिवक्तागण श्री अक्षय कुमार दवे, श्री नवीन शर्मा।
2. अप्रार्थी/वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश विश्नोई श्री हनुमान प्रजापत, श्री भरत बूब।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हुआ है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने ग्राम आंगणवा तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 227 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा सं. 232 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा सं. 234 रकबा 10 बीघा 17 भूमि कुल खसरे 3 कुल रकबा 62 बीघा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्रों में किए गए अभिवचनों के अनुसार वादीगण ने अपने आप को स्व. भंवरलाल जी के पोते एवं पोतियां तथा प्रतिवादी सं. 1 जगदीश की जायंदा संतान होना अभिकथित करते हुए अपने आप को अपने दादा स्व. भंवरलाल जी के प्रथम रेणी के वारिसान होना बताकर उपरोक्त भूमि में अपने खातेदारी हक अधिकार अर्जित होना अभिकथित करते हुए उक्त भूमि के संबंध में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। स्वीकृत रूप से ग्राम आंगणवा के उपरोक्त खसरान् की भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 की सह खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 जगदीश सिंह के जीवन काल में ही अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उक्त वादी अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 जगदीश सिंह एवं अन्य सह खातेदारों के विरुद्ध अपने–आप को स्व भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान होना अभिकथित करते हुए प्रस्तुत किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण स्व. भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण को अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 जगदीश सिंह के जीवन काल में उक्त भूमि में किसी भी तरह का कोई हक अधिकार स्वतंत्र रूप से अर्जित नहीं हुए हैं। इस कारण से वादीगण कानूनन अपने पिता के जीवन काल में उक्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इत्यादि का अनुतोष न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तथा कानूनन वादीगण अपने पिता के जीवनकाल में उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है, इसलिए वादीगण का उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वादीगण का उक्त वाद आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. 1908 के तहत खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण को अपने दादा भंवरलाल जी के देहांत के पश्चात् अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 जगदीश सिंह के जीवन काल में उपरोक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने एवं उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में अपना नाम बहैसियत खातेदार के रूप में दर्ज कराने का विविध हक अधिकार नहीं होने के कारण से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है एवं वादकरण के अभाव में वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जावे।

प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 द्वारा भी प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया जिसमें अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
लोहावट (उत्तर)

वादीगण प्रतिवादी सं. 1 जगदीश की जायंदा संतान है। इस प्रकार वादीगण के पिता जगदीश वाद प्रस्तुत करने की दिनांक एवं आज तक जीवित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अचल संपत्ति किसी व्यक्ति के निवर्सियत देहांत हो जाने पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसारा उसके प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान में निहित होगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में मृतक के पुत्र पुत्रियों का अवश्य हवाला दिया गया है कि कहीं पर भी पौत्र अथवा पौत्रियों का कोई हवाला नहीं दिया गया है। किसी पुत्र के मृत होने पर उसके उसके पुत्र पुत्रियों का अवश्य हवाला दिया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी अचल संपत्ति व्यक्ति के देहांत पर उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में ही निहित होगी, जिसमें किसी भी प्रकार स पोत्र तथा पोत्रियों को किसी प्रकार का कोई हक–अधिकार इस धारा में नहीं दिया गया है। वादीगण द्वारा स्वयं को भंवरलाल जी के पोत्र होने के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में घोषणा के अनुतोष की मांग की गई है जबकि स्वीकृत रूप से वादीगण के पिता अर्थात भंवरलाल जी के पुत्र जगदीश अभी भी जीवित है। ऐसी स्थिति में भंवरलाल जी के देहांत के पश्चात् उनकी चल अचल संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में ही निहित हुई। चूंकि वादीगण भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान नहीं है एवं भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान जीवित है ऐसी स्थिति में वादीगण को यह वाद ला सकने का कोई वादकारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है एवं ना ही विधिअनुसार वादग्रस्त भूमियों में वादीगण के किसी भी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार निहित हुए हैं। अतः वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित एवं वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वादकरण उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण/अप्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पदवार पेश करते हुए निवदेन किया गया कि ग्राम आंगणवा के खसरा सं. 227 खसरा सं. 232, खसरा सं. 234 की 62 बीघा 09 बिस्वा भूमि पूर्व में स्व. श्री रूपजी के खातेदारी की भूमि थी एवं पर्चा लगान भी उन्हीं के नाम से जारी किया हुआ था, रूपजी के देहांत के बाद उक्त भूमि स्व. श्री भंवरलाल जी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है एवं भंवरलाल जी की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि प्रतिवादी जगदीश सिंह के नाम दर्ज हुई थी। उपरोक्त खसरान् की भूमि पूर्वजों की पैतृक भूमि रही है एवं वाद के वादीगण जगदीश सिंह की संतान हैं ऐसी स्थिति में वादीगण का विवादग्रस्त भूमि में पूर्व से ही हित निहित है धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में दादा की सपंत्ति में पौत्र को भी हिस्सेदार माना है कानून की यह स्थिति स्पष्ट है कि पिता के जीवित रहते पुत्र को अर्थात ऐसी भूमि के लिए बंटवाडे का दावा लाने का अधिकार नहीं है परंतु अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा के लिए वाद लाने का वादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं एवं वादीगण ने अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो पूर्ण रूप से माननीय न्यायालय को सुनने एवं भूमि का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है। विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है इन्हीं तथ्यों के आधार पर अभिवचित करते हुए वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावे में प्रस्तुत अभिवचनों को देखकर ही निर्णित की जाती है इस

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

विवादग्रस्त भूमि वादीगण ने संयुक्त रूप से अपना काबिज होना एवं विवादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकार अर्जित होना वर्णित करते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में यह वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कानून से बाधित नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं है अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 की प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 ने ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण स्व. भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण को अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 जगदीश सिंह के जीवन काल में उक्त भूमि में किसी भी तरह का कोई हक अधिकार स्वतंत्र रूप से अर्जित नहीं हुए हैं। इस कारण से वादीगण कानूनन अपने पिता के जीवन काल में उक्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इत्यादि का अनुतोष न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तथा कानूनन वादीगण अपने पिता के जीवनकाल में उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने अपने जवाब को ही बहस माना। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

1. AIR 2016 Supreme Court 1169 :: 2016 (3) ADR 65 Supreme Court of India Civil Appeal No. 2360 of 2016
2. S.B. Civil revision petition No 164/2016 Manoj Sharma and others VS Pankaj Sharma and others (Raj High court Bench Jaipur)
3. S.B. Civil first Appeal No. 300/2019 Mohan Lal and Others VS Hanuman Singh and Others (Raj High court Bench jodhpur)
4. Commisiojner of Wealth Tax, kanpur and others vS chander sen and others (1986) AIR (SC) 1753: (1986) 58 CuTR 119: (1986)161 ITR 370: (1987) 100 LW 347 : (1986) 2 ACAlE 75 : (1986) 3 SSC 567 : (1986) SCC (Tax) 641: (1986) 3 SCR 255: (1986) 3 SCR 254 : (1986) TaxLR 1328 Supreme Court of India Division Bench

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा बहस में अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त खसरान् की भूमि पूर्वजों की पैतृक भूमि रही है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पूर्व से ही हित निहीत है। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में दादा की संपत्ति में पोत्र को भी हिस्सेदार माना है। कानून की यह स्थिति स्पष्ट है कि पिता के जीवित रहते पुत्र को अर्थात ऐसी भूमि के लिए बंटवाडे का दावा लाने का अधिकार नहीं है परंतु अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा के लिए वाद लाने का वादीगण को पूर्व अधिकार प्राप्त हैं। इन्हीं तथ्यों के

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आधार पर वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कानून से बाधित नहीं माना जा सकता है।

हमने उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली मे प्रस्तुत मूल वाद, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी व जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस व बहस में दिये गये तर्कों तथा अधिवक्ता उभयपक्षकारान् द्वारा दिए गए न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अध्ययन कर, समग्र रूप से विवेचन किया गया। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 जगदीश सिंह की जायंदा संतान है। इस प्रकार वादीगण के पिता जगदीश वाद प्रस्तुत करने की दिनांक एवं आज तक जीवित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अचल संपत्ति किसी व्यक्ति के निवर्सियत देहांत हो जाने पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसारा उसके प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान में निहित होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी अचल संपत्ति व्यक्ति के देहांत पर उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में ही निहित होगी, जिसमें किसी भी प्रकार स पोत्र तथा पोत्रियों को किसी प्रकार का कोई हक–अधिकार इस धारा में नहीं दिया गया है। वादीगण द्वारा स्वयं को भंवरलाल जी के पोत्र होने के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में घोषणा के अनुतोष की मांग की गई है जबकि स्वीकृत रूप से वादीगण के पिता अर्थात भंवरलाल जी के पुत्र जगदीश अभी भी जीवित है। ऐसी स्थिति में भंवरलाल जी के देहांत के पश्चात् उनकी चल अचल संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में ही निहित हुई। चूंकि वादीगण भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान नहीं है एवं भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान जीवित है ऐसी स्थिति में वादीगण को यह वाद ला सकने का कोई वादकारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है एवं ना ही विधि अनुसार वादग्रस्त भूमियों में वादीगण के किसी भी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार निहित हुए हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अपने तर्को के समर्थन मे प्रस्तुत कानूनी उद्धरण से न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का विधिं द्वारा बाधित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 तथा 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर, वादीगण का वाद विधि द्वारा बाधित होने से नामंजूर किया जाता है।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 10/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उतर) जोधपुर**
मुकाम जोधपुर व इजलास

पीठासीन अधिकारीः— **प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्याः— 217/2012
जीसीएमएस नंबरः— 2022/409

वादीगण—

1. घनश्याम सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जी, आयु 43 वर्ष निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।
2. श्रीमती रजनी धर्मपत्नी श्री महेन्द्रसिंह जी कच्छावाह, पुत्री श्री जगदीश सिंह जी जाति माली निवासी मारवाड़ नगर महामंदिर जोधपुर।
3. श्रीमती मीना धर्म पत्नी श्री भगतसिंह परिहार पुत्री श्री जगदीश सिंह जाति माली निवासी लाल मैदान चौथी सी रोड़ जाटावास महामंदिर जोधपुर।
4. श्रीमती ललिता धर्मपत्नी श्री श्यामसिंह जी भीटी पुत्री श्री जगदीश सिंह जी, जाति माली निवासी— कमला नगर (कुंज) चैनपुरा बावड़ी, मण्डोर जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण—

1. श्री जगदीश सिंह पुत्र स्व. श्री भंवरलाल, जाति माली,
2. श्री दौलतसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी जाति— माली,
3. श्री निर्मलसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति माली
   निवासीगण— गहलोतों का बास, मंगरा पूंजला मण्डोर जोधपुर।
4. श्री धनसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली,
5. मड़ी उर्फ मथुरा पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जाति माली, निवासीगण—82 रामनगर, भदवासिया स्कूल के पीछे, जोधपुर।
6. श्रीमती लक्ष्मी धर्मपत्नी श्री रावतसिंह पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जी जाति माली सांखला, निवासी रूपावतों का बेरा, काली बेरी, जोधपुर।
7. श्रीमती नैनी धर्मपत्नी श्री गोपीकिशन जाति सांखला माली, पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जी निवासी सांखलों का बास, मगर पूंजला जोधपुर।
8. श्रीमती मंजू धर्मपत्नी श्री आनंदसिंह जाति माली पंवार पुत्री स्व. श्री भंवरलाल जी निवासी महामंदिर रेल्वे स्टेशन के सामने शहर जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य, जरिए तहसीलदार जोधपुर।
10. उप—पंजीयक द्वितीय, कचहरी परिसर जोधपुर।

दावा बाबत् 88 व 188 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 217/2012 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश विश्नोई, श्री हनुमान प्रजापत, श्री भरत बूब व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी, प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से अधिवक्तागण श्री अक्षय कुमार दवे, श्री नवीन शर्मा हाजिर पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का विधि द्वारा बाधित है। अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 तथा 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर, वादीगण का वाद विधि द्वारा बाधित होने से नामंजूर किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

लीज....x......मुबलिक......x.....बाबत्.....x....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह........ x....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......x........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10/09/2025 की जारी की गई।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अह्वान्			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

प्रीतम कुमार, (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर